न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, मऊ

उपस्थित : बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड़ नं. UP6398

UPMA010031532016

सत्र परीक्षण संख्याः– 307/2016

******

राज्य

बनाम

1. शब्बीर पुत्र मुनीर,
2. कबीर उर्फ फिरोज पुत्र मनीर,
3. जुम्मन पुत्र मनीर,
4. मनीर पुत्र बशीर,
5. जहीर पुत्र जमीर,
निवासीगण–लसरा, थाना–हलधरपुर, जनपद–मऊ।
6. बब्लू पुत्र रहमान,
निवासी– कोटबारी, थाना– रसड़ा, जनपद– बलिया।
अन्तर्गत धारा–147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं०
मुकदमा अपराध सं०– 283/2006
थाना– हलधरपुर, जिला मऊ।

निर्णय

1) प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण **शब्बीर, कबीर उर्फ फिरोज, जुम्मन, मनीर, जहीर व बब्लू** के विरूद्ध थाना हलधरपुर, जिला मऊ की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 283/2006 अन्तर्गत धारा 147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं० के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुये उक्त मामले को सत्र परीक्षणीय होने के नाते दिनांक 22.12.2016 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

2) अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी साकिन मौजा लसरा, थाना हलधरपुर, जनपद का निवासी है तथा शान्तिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी का मकान गांव के दक्षिण पूरब कोण पर आखिरी में स्थित है। उसके बाद बाग तथा नदी स्थित है, जो बिलकुल जंगल की तरह है। प्रार्थी के गांव के ही शब्बीर पुत्र मुनीर, कबीर पुत्र फिरोज, जुम्मन व मुनीर पुत्र बशीर तथा जहीर पुत्र जमीर समस्त साकिनान मौजा लसरा, थाना हलधरपुर व बब्लू पुत्र रेहमान साकिन मौजा कोटवारी थाना रसड़ा, जनपद बलिया के मूल निवासी है, जो काफी सरकस सीनाजोर एवं गोलबन्द किस्म के व्यक्ति है व आये दिन प्रार्थी को हैरान व परेशान व जान से मारने की धमकी दिये करते है। इसी क्रम में उपरोक्त मुल्जिमान ने दिनांक 29.03.2006 को समय करीब साढ़े पांच बजे शाम को प्रार्थी के दरवाजे पर चढ़ आये और प्रार्थी को गाली–गुप्ता व जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डे व टांगी से लैस

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.08.06 14:12:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mau

होकर दौड़ाए प्रार्थी व प्रार्थी का लड़का पप्पू अपनी जान बचाकर घर में भागे। उपरोक्त मुल्जिमान घर में घुसकर प्रार्थी व प्रार्थी के लड़के को बुरी तरह से मारे–पीटे जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी मौके पर बेहोश हो गया। प्रार्थी को गांव के लोगों की मदद से प्रार्थी को प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र रतनपुरा लादकर लाया गया। जहाँ डाक्टर ने प्रार्थी की स्थिति देखकर जिला अस्ताल रेफर कर दिया। प्रार्थी जिला अस्पताल मऊ में पूरे एक सप्ताह दवा–इलाज के बाद अपने घर पहूँचा तो तीसरे दिन उपरोक्त सभी मुल्जिमान लगभग डेढ़ बजे रात में प्रार्थी के घर के पीछे व बगल में असहलों से लैस होकर घात लगाकर प्रार्थी कि हत्या करने की नियत से बैठे थे। प्रार्थी की औरत के चिल्लाने के बाद प्रार्थी के घर के दक्षिण नदी के तरफ भागे।

3) उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हलधरपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 283/2006, अन्तर्गत धारा 147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं० बनाम शब्बीर आदि दर्ज हुयी, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया और घटना विवेचना संबन्धित विवेचक द्वारा सम्पन्न की गयी तथा दौरान विवेचना उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण नक्शा नजरी अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। तत्पश्चात समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण शब्बीर, कबीर, जुम्मन, मनीर, जहीर व बब्लू के विरूद्ध आरोप पत्र मुकदमा अपराध सं० 283/2006 , अन्तर्गत धारा 147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं० न्यायालय में प्रेषित किया।

4) सत्र न्यायालय, मऊ द्वारा दिनांक 22.12.2016 को अभियुक्तगण शब्बीर, कबीर उर्फ फिरोज, जुम्मन, मनीर, जहीर व बब्लू के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 147,148,308/149,452,504,506 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

5) साक्ष्य के स्तर पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में निम्न को परीक्षित कराया गया है। इसके अलावा अन्य कोई मौखिक साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

पी० डब्लू–1	वादी मुकदमा जमालुद्दीन
पी० डब्लू–2	मसाउद्दीन
पी० डब्लू–3	मन्जीत मौर्य
पी० डब्लू–4	पप्पू उर्फ अमर शाह

6) अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

प्रदर्श क–1	हस्तलिखित तहरीर

7) प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया है।

8) अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 29.03.2006 को समय करीब 5.30

बजे शाम बहद ग्राम लसरा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ में अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा जमालुद्दीन को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए सामान्य आशय बनाकर विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा कारित करते हुए टांगी/कुल्हाड़ी से वादी मुकदमा के घर में घुसकर मारा–पीटा जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयी।

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण</u>

9) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी० डब्लू–1 वादी मुकदमा जमालुद्दीन ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "घटना सन् 2006 में हुई थी। मार्च था कि अप्रैल महिना नहीं याद। समय लगभग 12.10 बजे दिन में हुई थी। हम लोगों को कोई नहीं मारा था। मुझे याद नहीं है कि मुझे चोट आयी थी कि नहीं। शब्बीर, कबीर, जुम्मन, मुनीर, नजीर यह सभी लोग मेरे गांव के है। बब्लू पुत्र रहमान कोटवाली थाना रसड़ा जिला बलिया के रहने वाले है। अभियुक्तगण से घटना के पहले से मेरी कोई रंजिश नहीं थी। घटना के समय पीछे से चोट लगी थी। मैं मारने वालों को नहीं देख पाया था। इस घटना में मेरे लड़के पप्पू को भी चोट लगी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त घटना के समय मौके पर थे की नहीं मैं नहीं बता सकता। घटना की दरखास्त मैंने पत्नी व लड़के पप्पू के बताने के अनुसार दिया था। पहले थाने पर दरखास्त दिया था कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैंने एस०पी० महोदय के यहाँ दरखास्त दिया था। एस०पी० साहब के आदेश से मुकदमा कायम हुआ था। साक्षी का प्रार्थना पत्र कागज सं० 5क/1 शामिल पत्रावली पढ़कर सुनाया गया तथा दिखाया गया तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करते हुए बताया कि इसमे लिखी बांते पत्नी और पप्पू के कहने पर लिखवाया था। साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने विवेचक को यह नहीं बताया था कि मुल्जिमान उपरोक्त लाठी–डण्डा व टांगी से दौड़ा कर घर में घुस कर बूरी तरह से मारे–पीटे थे।"

10) साक्षी पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा जमालुद्दीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

11) उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया तथा न्यायालय से जिरह की अनुमति चाही गयी।

12) इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा घटना ना किये जाने का कथन किया गया है तथा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. से इंकार किया गया है।

13) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी० डब्लू–2 मसाउद्दीन ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "घटना हुए आज से लगभग 13 वर्ष हो चुके है। साढ़े पाँच बजे का समय था। मैं घर पर नहीं था। जब मैं घर वापस आया तो घटना की बात सुना था। जमालुद्दीन और पप्पू को चोटें आयी थी। किसके मारने से चोटें आयी थी यह मैंने नहीं देखा था। शब्बीर, कबीर, जुम्मन, मुनीर, जहीर व बब्लू से मार–पीट हुई थी कि नहीं मैंने नहीं देखा था। पप्पू व जहीर को लाठी–डण्डा की चोटें आयी थी। मैंने सुना था। पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।।"

14) साक्षी पी०डब्लू–2 मसाउद्दीन ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

15) उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया तथा न्यायालय से जिरह की अनुमति चाही गयी।

16) इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा घटना ना किये जाने का कथन किया गया है तथा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. से इंकार किया गया है।

17) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी० डब्लू–3 मन्जीत मौर्य ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "घटना के दिन मैं मऊ शहर में कार्य कर रहा था। रोज मैं काम खत्म करके घर ग्राम लसरा लगभग नौ बजे रात को पहुँचता हूँ। उस दिन भी मैं मऊ से काम करके अपने घर लगभग 9 बजे रात ही पहुँचा था। घर जाते समय गांव के लोग आपस में बातचीत करते हुए सुना था कि जमालुद्दीन और पप्पू को चोटें आयी है लेकिन मैं यह नहीं जान पाया कि उक्त लोगों को किसने मारा–पीटा था और न ही मैंने किसी को मारते–पीटते देखा था और न ही सुना था। शब्बीर, कबीर, जुम्मन, मुनीर, जहीर व बब्लू से मार–पीट हुई थी कि नहीं हुई थी इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान लिया था।"

18) साक्षी पी०डब्लू–3 मन्जीत मौर्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

19) उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया तथा न्यायालय से जिरह की अनुमति चाही गयी।

20) इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा घटना ना किये जाने का कथन किया गया है तथा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. से इंकार किया गया है।

21) **अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी० डब्लू–4 पप्पू उर्फ उमर शाह ने न्यायालय में दिये अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि,** "अभियुक्तगण शब्बीर, कबीर, जुम्मन, मुनीर, जहीर व बब्लू को मैं घटना के पहले से जानता–पहचानता हूँ। यह लोग मेरे ही गांव के रहने वाले है। घटना आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व की है मार्च का महीना था, तारीख व सन् मुझे याद नहीं है। शाम का लगभग 6.00 बज रहा था। गांव में कुछ लड़के आपस में विवाद व तू–तू–मैं–मैं कर रहे थे। वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गये थे। विवाद सुनकर मैं भी वहां पर गया। तब तक वहां भगदड़ सी मच गयी। मैं भी भागते हुए लोगों को देखकर भागना चाहा, वहीं पर गिर गया। जिससे मेरे शरीर पर काफी गंभीर चोटें आ गयी और मैं मौके पर ही बेहोश हो गया। लोगों मुझे दवा–इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र रतनपुरा ले गये। जहां मुझे होश आया तो देखा की मेरे पिता जी और गांव के बहुत से लोग थे। मुल्जिमानों ने मुझे एक राय होकर लाठी–डण्डा व कुल्हाड़ी से नहीं मारे–पीटे थे। न ही मुल्जिमानों ने एक राय होकर घर में घुसकर मारे–पीटे, गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी थे।"

22) साक्षी पी०डब्लू–4 पप्पू उर्फ उमर शाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का

समर्थन नहीं किया है।

23) उपरोक्त साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन न किये जाने के कारण अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया तथा न्यायालय से जिरह की अनुमति चाही गयी।

24) इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा घटना ना किये जाने का कथन किया गया है तथा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. से इंकार किया गया है।

25) विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री नन्दलाल भारती व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक बहस को विस्तार से सुना एवं अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की तरफ से प्रस्तुत तर्क व संलग्न सुसंगत प्रपत्रों तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया।

26) प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं० को संन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर निर्भर है।

27) अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 29.03.2006 को समय करीब 5.30 बजे शाम बहद ग्राम लसरा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ में अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा जमालुद्दीन को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए सामान्य आशय बनाकर विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा कारित करते हुए टांगी/कुल्हाड़ी से वादी मुकदमा के घर में घुसकर मारा–पीटा जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयी।

28) प्रस्तुत सत्र परीक्षण को अभियोजन द्वारा साबित करने के उद्देश्य से कुल 4 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

29) आपराधिक मामले में अभियोजन कथन को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष का होता है।

30) विधि निर्णय **उड़ीसा राज्य प्रति बनबिहारी महापात्र व एक अन्य, 2022(1) जे.आई.सी. रिपोर्ट्स 274(एस.सी.)(द्विभाषी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि अभियुक्तगण को निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है जब तक वह युक्तयुक्ति संदेह से परे दोषी साबित नही किया जाता।

31) विधि निर्णय **नासिर शैलेन्द्र शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 एस. ए. आर. (क्रिमिनल) 489** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अपराध विधि का मूलभूत सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करना होता है, जबकि बचाव पक्ष को अपने मामले में सम्भाव्यता मात्र दर्शित करना होता है और जो बचाव लिया जाता है, उसके सम्बंध में अभिलेख पर कुछ तथ्य होने चाहिये, जो अभियोजन साक्षीगण को दिये गये सुझाव के रुप में भी हो सकता है।

32) विधि निर्णय **दौलत राम बनाम पंजाब राय 1997 (34) ए.सी.सी. पृष्ठ 839** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला अपने साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे सिद्ध करना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा।

अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है।

33) विधि निर्णय **धनपाल बनाम राज्य 2009 (69) ए.सी.सी. पृष्ठ 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करे तथा यह न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें, जैसा अभियोजन कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये। साथ ही किसी प्रकार के अभिवृद्धि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

34) इस प्रकार उक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में प्रस्तुत मामले अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर गहनतापूर्वक विचार किया जाना है।

<u>बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

35) बचाव पक्ष के तरफ से सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में परीक्षित तथ्यगत साक्षियों ने घटना को कारित करते हुए नही देखा है बल्कि अभियुक्तगण को जानबूझकर साजिश व रंजिश के अंतर्गत नामित किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों ने अभियुक्तगण का इस अपराध में संलिप्तता के संबन्ध में लेश मात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिसके नाते अभियुक्तगण उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 147,148,308 /149,452,504,506 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

36) अभियोजन द्वारा उक्त तर्क का घोर विरोध किया गया है और कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा मिलकर एक राय होकर तथाकथित घटना तिथि व समय पर अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा जमालुद्दीन को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए सामान्य आशय बनाकर विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा कारित करते हुए टांगी/कुल्हाड़ी से वादी मुकदमा के घर में घुसकर मारा–पीटा जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयी, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध तथ्यगत साक्षीगण के साक्ष्य से साबित है, जिसके नाते उसे धारा 147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत होगा।

<u>साक्ष्य का मूल्यांकन/विश्लेषण</u>

37) अब पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना समीचीन होगा।

38) ऐसी स्थिति में अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 147,148,308/149,452,504,506 भा०दं०सं० के अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया जाना है।

39) अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 29.03.2006 को समय करीब 5.30 बजे शाम बहद ग्राम लसरा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ में अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा जमालुद्दीन को गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए सामान्य आशय बनाकर विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा कारित करते हुए टांगी/कुल्हाड़ी से वादी मुकदमा के घर में घुसकर मारा–पीटा जिससे उन्हे गम्भीर चोटें आयी। अतः अभियुक्तगण पर धारा

147, 148, 308/149, 452, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप है।

40) बचाव पक्ष के तरफ से सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण को असत्य आधारों पर गलत रूप से इस सत्र परीक्षण में आरोपित किया गया है और उनके विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उसकी पुष्टि नही होती है, जिसके फलस्वरूप वे इस प्रकरण से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

41) अभियोजन द्वारा इस तर्क का प्रखर विरोध किया गया है।

42) इस निमित्त अभियोजन की ओर से तथ्यगत साक्षीगण के रूप में पी०डब्लू–1 वादी मुकदमा जमालुद्दीन, पी०डब्लू–2 मसाउद्दीन, पी०डब्लू–3 मन्जीत मौर्य व पी०डब्लू–4 पप्पू उर्फ उमर शाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा दौरान प्रति परीक्षा भी सभी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य से इंकार किया है। साक्षी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० से इंकार करते हुए कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित नहीं की गयी है। इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया।

43) पत्रावली पर चुटहिल साक्षी जमालुद्दीन व पप्पू की इन्जरी रिपोर्ट उपलब्ध है, परंतु उपर्युक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तथाकथित घटना में उसे चोटें आयी थी, जो चिकित्सकीय परीक्षण से साबित है, परन्तु इस प्रकरण के चोटहिल साक्षी ने अपने साक्ष्य में समेकित रूप से यह साक्ष्य दिया है कि घटित घटना अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कारित की गयी है। घटना में आरोपित अभियुक्तगण को साक्षी ने अपने साक्ष्य में पहचानने से इंकार किया है।

44) अतएव अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्यों के गहन अधिमूल्यन से स्थापित है कि इस प्रकरण के समस्त तथ्यगत साक्षियों ने घटना के सबन्ध में रंच मात्र भी कोई प्रकाश नही डाला है अपितू सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोटहिल साक्षी जमालुद्दीन व पप्पू ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है ना ही इन अभियुक्तों के बारें में कोई सुसंगत साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 308/149, 452, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सर्वथा असफल रहा है।

45) इस निमित्त विधि निर्णय **मथुरा प्रसाद व अन्य बनाम स्टेट आफ एम.पी.ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 49** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हे कि यदि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहता है तो अभियुक्तगण दोषमुक्ति का हकदार होगा।

46) अतएव उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्थापित है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, 308/149, 452, 504, 506 भा०दं०सं० का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **शब्बीर, कबीर उर्फ फिरोज, जुम्मन, मनीर, जहीर व बब्लू** को मुकदमा अपराध सं० 283/2006, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 308/149, 452, 504,

506, अन्तर्गत थाना हलधरपुर, जिला मऊ के के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण इस प्रकरण में जमानत पर है। अतः उसका स्वबंध–पत्र व प्रतिभूगण निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा धारा 437ए दं.प्र.सं के प्राविधानों के अनुपालन में मु० 20,000–20,000/–रू (**बीस हजार रूपये**) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के **दो–दो प्रतिभू** इस आशय का अंदर सप्ताह प्रस्तुत किया जाये कि यदि इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उन्हें आहूत किया जाता है तो वे वहां उपस्थित होंगे। यह बन्धपत्र इस निर्णय की तिथि से छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

चुंकी वादी मुकदमा **जमालुद्दीन** पुत्र असद अली, निवासी लसरा, थाना– हलधरपुर, जनपद मऊ ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मूल तहरीर में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत बयान दिया है, अतः उसके विरुद्ध धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक प्रकीर्ण फौजदारी वाद पंजीकृत की जाए। वादी मुकदमा जमालुद्दीन को इस आशय की नोटिस जारी की जाए कि न्यायालय में उसे मिथ्या साक्ष्य दिये जाने पर क्यों न उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

[बाकर शमीम रिजवी]
दिनांक– 03.08.2026 **अपर स़त्र न्यायाधीश**
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

[बाकर शमीम रिजवी]
दिनांक– 03.08.2026 **अपर स़त्र न्यायाधीश**
कोर्ट सं. 1 जनपद–मऊ।